संख्या-55/2018/क0नि0-4-1065/11-2018-300(42)/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर, 2018**

विषयः- निर्माणाधीन वाणिज्य कर कार्यालय भवन, सेक्टर-148, नोएडा में लिफ्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-नोएडा-03(V)-भाग 3/2018-19/520/वाणिज्य कर, दिनांक 07.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन वाणिज्य कर कार्यालय भवन, सेक्टर-148, नोएडा में 03 नग लिफ्ट लगाये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत ईकाई-2, नोएडा द्वारा आगणित कुल धनराशि रू0 01,39,34,077.00 (रूपया एक करोड़ उन्तालीस लाख चौंतीस हजार सतहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी कमिश्नर, वाणिज्य कर की होगी तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-वाणिज्य कर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

सं0-55/2018/क0नि0-4-1065/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- एडी0 कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत ईकाई-2, नोएडा।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।